संख्या-1549/छःनासु-11-32 होगा/11

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर, 2011

विषयः- होमगार्ड्स विभाग में अवैतनिक अधिकारियों के भर्ती चयन बोर्ड व प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 3057/स्था0/एक-333/2001(पार्ट) दिनांक 10 जून, 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगार्ड्स संगठन के अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु चयन बोर्ड व चयन प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रस्ताव व माडल ड्राफ्ट उपलब्ध कराते हुए प्रकरण में शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/विवरण तथा अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की भर्ती से सम्बन्धित मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/आदेशों पर विचारोपरान्त निम्नवत् आदेश निर्गत किये जा रहें हैः-

1- **रिक्तियों की अवधारणाः-**

जनपद इकाई में विद्यमान रिक्तियों की अवधारणा वर्ष में दो बार की जायेगी। प्रथम अवधारणा 31 मार्च को विद्यमान रिक्तियों एवं द्वितीय अवधारणा 30 सितम्बर को विद्यमान रिक्तियों की होगी। जिला कमाण्डेन्ट रिक्तियों की सूचना होमगार्ड्स मुख्यालय तथा शासन को भेजेगें। रिक्तियों की अवधारणा/आगणन करते समय अनूसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति की रिक्तियों तथा नगर संगठन में पुरूष/महिला होमगार्ड्स एवं ग्रामीण संगठन में पुरूष होमगार्ड्स की रिक्तियां पृथक पृथक अवधारित की जायेंगी।

रिक्तियों की अवधारणा के पश्चात् वर्गवार रिक्तियों की संख्या का उल्लेख करते हुंए अपेक्षित अर्हताओं सहित उनका प्रसारण जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क कराया जाये तथा भर्ती की तिथि की सूचना का व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जाये। इसके लिए स्थानीय समाचार पत्रों के अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी, सेवायोजन कार्यालय, परगना अधिकारी, जिलाधिकारी, विभिन्न शिक्षा संस्थानों, समस्त विकास खण्ड कार्यालयों, पुलिस थानों, कम्पनी इकाई व तहसीलो में सूचना दी जाये तथा सम्बन्धित कार्यालयों के सूचना पटों पर लिखित रूप से सूचना चस्पा कर दी जाये एवं प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पहले चयन समिति के सभी सदस्यों को वर्गवार रिक्तियों, अर्हताओं एवं भर्ती के सम्बन्ध में शासन/होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों से अवगत कराया जाये।

2- **आरक्षणः-**

उक्त हेतु शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप सम्बन्धित वर्गो को आरक्षण अनुमन्य होगा।

3- **शैक्षिक योग्यताः-**

- कंपनी कमाण्डर -इण्टरमीडिएट
- सहायक कंपनी कमाण्डर -इण्टरमीडिएट
- प्लाटून कमाण्डर -हाईस्कूल
- पूर्व से कार्यरत स्वयंसेवक व प्लाटून कमाण्डर हेतु कंपनी कमाण्डर व सहायक कंपनी कमाण्डर पद के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल।

4- **<u>आयु सीमाः-</u>**

अभ्यर्थी की आयु कम से कम 20 वर्ष एवं अधिक से अधिक 50 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना, प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर सम्बन्धित वर्ष की एक जनवरी तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर

एक जुलाई से की जायेगी। शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य आयु सीमा में छूट सम्बन्धित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगीं।

5- **शारीरिक मापदण्डः-**

पुरूष अभ्यर्थी	**सामान्य अभ्यर्थी/अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी**	**पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी**
ऊॅचाई	167.7 से0मी0	160.0 से0मी0	162.6 से0मी0
सीना बिना फुलाये	78.8 से0मी0	76.5 से0मी0	76.5 से0मी0
सीना फुलाने पर	83.8 से0मी0	81.5 से0मी0	81.5 से0मी0
महिला अभ्यर्थी	152.0 से0मी0	147.0 से0मी0	147.0 से0मी0

6-चयन समितिः-

1-डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल आगरा/इलाहाबाद/सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स अध्यक्ष
2-सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी सदस्य
3-सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक राजपत्रित पुलिसअधिकारी सदस्य
4-सम्बन्धित जनपद के जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स सदस्य/सचिव
5-जिन जनपदों में नगर कमाण्डेण्ट के पद सृजित हैं , वहां पर नगरीय कंपनियों में अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती के समय नगर कमाण्डेण्ट अतिरिक्त सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

<u>नोटः-</u>

चयन समिति में ऐसे डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल/मण्डलीय कमाण्डेण्ट/जिला कमाण्डेण्ट/नगर कमाण्डेण्ट को नही रखा जायेगा, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अभियोजन अथवा सतर्कता/भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जांच प्रचलित होगी। ऐसे अधिकारियों के स्थान पर कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड्स अन्य समकक्ष/संवर्गीय अधिकारी को चयन समिति में नामित करने हेतु अधिकृत होंगे। चयन समिति में शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य अनिवार्य रूप से होना आवश्यक होगा। चयन समिति की बैठक के लिए अध्यक्ष सहित कम से कम तीन की संख्या में अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

7- शैक्षिक योग्यता के निर्धारित अंकः-

अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के 5 अंक दिए जायेंगे। प्रत्येक अनुवर्ती उच्च शैक्षिक योग्यता के लिए एक अतिरिक्त अंक दिया जायेगा। परन्तु अधिकतम 5 अंक ही दिए जा सकेंगे। इस प्रकार शैक्षिक योग्यता के अधिकतम 10 अंक देय होंगे।

8- खेलकूदः-

खेलकूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 05 अंक निर्धारित है, जो निम्नानुसारदिए जायेंगेः-

स्कूल/विद्यालय स्तर	-01 अंक
जिला/महाविद्यालय स्तर	-02 अंक
मण्डल/विश्वविद्यालय स्तर	-03 अंक
राज्य स्तर	-04 अंक
अखिल भारतीय/राष्ट्रीय स्तर	-05 अंक

स्कूल/विद्यालय/महाविद्यालय के खिलाड़ी को सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य, जिला स्तर के खिलाड़ी हेतु जिला स्पोर्ट अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जिला स्पोर्टस एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव, मण्डल स्तर के खिलाड़ी हेतु क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिवीजनल स्पोर्टस एसोसिएशन, विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्रीड़ाधिकारी, राज्य स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित स्पोर्टस के राज्य स्पोर्टस एसोसिएशन अथवा उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अखिल भारतीय स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित खेलों के राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

9- **विभागीय अभ्यर्थियों तथा सेना के भूतपूर्व सदस्यों के लिए अंकों का निर्धारणः-**

1- होमगार्ड्स स्वयंसेवक को अभ्यर्थी होने की स्थिति में उसे अधिकतम 5 अंक दिए जा सकेंगे।

2- सेना के भूतपूर्व सदस्यों को भी अधिकतम 5 अंक दिए जायेंगे।

10- **एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारकों हेतु निर्धारित अंकः-**

C-प्रमाण पत्र धारक	05 अंक
B-प्रमाण पत्र धारक	03 अंक
A-प्रमाण पत्र धारक/कैडेट प्रमाण पत्र/एन.एस.एस.प्रमाण पत्र /स्काउड गाइड	02 अंक

11- **डिप्लोमा धारकों हेतु अंकः-**

भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार से विधिवत मान्यता प्राप्त पालीटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी विषयों में डिप्लोमा धारकों को 5 अंक देय होंगे।

12- **शारीरिक दक्षता परीक्षाः-**

1- पुरूष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु 1500 मीटर की दौड़ करायी जायेगी। दौड़ हेतु अभ्यर्थी को दिए जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगेः-

-10 मिनट	05 अंक
-08 मिनट	07 अंक
-06 मिनट	10 अंक

2- महिला अभ्यर्थियों के लिए 400 मीटर की दौड़ करायी जायेगी, जिसमें निम्नानुसार अंक दिए जायेंगेः-

-2.5 मिनट	10 अंक
-3.5 मिनट	07 अंक
-4.0 मिनट	05 अंक

शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम न्यूनतम अंक पाने वाले अभ्यर्थी को उत्तीर्ण माना जायेगा तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम न्यूनतम अंक न पाने वाले अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण माना जायेगा तथा उसे चयन की अगली प्रक्रिया में सम्मिलित नही किया जा सकेगा।

13- **साक्षात्कारः-**

साक्षात्कार के 10 अंक होंगे।

14- **प्रतीक्षा सूचीः-**

कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनायी जायेगी।

15- **अन्तिम चयन प्रक्रियाः-**

- अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची चयन बोर्ड द्वारा वर्गवार आरक्षण प्राविधानों के अन्तर्गत तैयार की जायेगी और रिक्तियों के अनुसार तैयार की जायेगी। वर्गवार ज्येष्ठता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
- वर्गवार चयनित सूची का प्रकाशन उसी दिन किया जाये और उसकी एक एक प्रति होमगार्ड्स कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय एवं रोजगार कार्यालय के सूचना पटों पर अवश्य चस्पा की जाये।
- तैयार की गयी सूची में चयन समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
- चयन सूची की एक प्रति होमगार्ड्स मुख्यालय, एक मण्डलीय कमाण्डेण्ट को तथा एक प्रति कमाडेण्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र को अवश्य उपलब्ध करायी जाये। होमगार्ड्स मुख्यालय द्वारा चयन सूची को विभाग के वेबसाइट पर डाला जायेगा।

नोटः-

अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा तथा मेरिट शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों, होमगार्ड/सेना के भूतपूर्व सैनिकों, खेलकूद, एन.सी.सी. आदि में प्राप्त अंकों तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर बनायी जायेगी। प्रबन्धन की योग्यता रखने वाले डिग्री/डिप्लोमा धारकों को वरीयता दी जायेगी।

उपरोक्त प्रक्रिया से चयन मात्र तीन वर्ष की अवधि के लिए ही किया जायेगा। तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर स्क्रीनिंग बोर्ड की अनुशंसा पर अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनः अभ्यर्थी की इस हेतु लिखित स्वीकृति, उसकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति, उसके द्वारा पिछले तीन वर्षो में की गयी अवैतनिक सेवाओं, उसके चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय मन्तव्य, उसकी व्यक्तिगत पत्रावली के परीक्षण तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रस्तुत उसके स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग के समय व्यक्तिगत रूप से स्क्रीनिंग बोर्ड के समक्ष उपस्थिति होना अनिवार्य होगा। स्क्रीनिंग बोर्ड चयन बोर्ड के समान ही नामित अधिकारियों का तथा उसी अनुरूप होगा।

16- **स्वास्थ्य परीक्षणः-**

चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी फार्म उसी दिन अथवा अनिवार्यतः अगले दिन तक भरा लिया जाये और उनका स्वास्थ्य परीक्षण यथाशीघ्र मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जाये। स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थियों की ऊॅचाई, सीने की माप तथा फ्लैट फुट व कलर ब्लाइन्डनेस जैसी बीमारियों की जांच भी करायी जाये। स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी ।

17- **निवास प्रमाण-पत्रः-**

यह अनिवार्य है कि ग्रामीण क्षेत्र का अभ्यर्थी उसी विकास खण्ड का सामान्य निवासी हो, जिस विकास खण्ड की कंपनी में उसे भर्ती किया जाता है।

शहरी क्षेत्र का अभ्यर्थी या तो उसी नगर क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए, जिस नगर क्षेत्र की कंपनी में उसे भर्ती किया जाना है अथवा अस्थायी रूप से उस नगर क्षेत्र में आकर बस गया हो।

निवास प्रमाण-पत्र हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत निवास प्रमाण-पत्र मान्य होंगे किन्तु ग्रामीण क्षेत्र की कंपनी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थी को इस आशय का अतिरिक्त प्रमाण-पत्र सम्बन्धित ब्लाक के खण्ड विकास अधिकारी से देना होगा कि वह उसी विकास खण्ड का सामान्य निवासी है अथवा उसके निवास की ग्रामसभा उस विकास खण्ड के अन्तर्गत है।

उक्त शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा तथा उक्त शासनादेश के क्रम में अन्य वांछित कार्यकारी आदेश महासमादेष्टा, होमगार्ड्स के स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1549(1)/छः नासु-11 -तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
3- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
5- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

आज्ञा से

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांकः 4645/स्था/एक-333/2001(पार्ट) दिनांकः सितम्बर 12, 2011

उपरोक्त की प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
3- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स,परिक्षेत्र आगरा एवं इलाहाबाद/के0प्र0सं0 लखनऊ
4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
7- प्रशासकीय अधिकारी, स्थापना/लेखा।
8- कार्यालय अधीक्षक, स्थापना/लेखा।
9- गार्ड फाइल हेतु।

(एस0एस0प्रसाद)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी

संख्या-2099/छःनासु-10-438 होगा/07

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ दिनांक 06 सितम्बर, 2010

विषयः-होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की भर्ती हेतु चयन बोर्ड व प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 5557/स्था0/एक-333/2001, दिनांक 21 जुलाई 2010 का संदर्भ ग्रहण का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के भर्ती व सापेक्ष चयन बोर्ड के गठन में संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव व भर्ती प्रक्रिया का विवरण तथा इस संबंध में निर्गत किये जाने वाले शासनादेश का माडल ड्राफ्ट संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/विवरण तथा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की भर्ती से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासादेश संख्या-2883/छःनासु-92-181 होगा/84 टी0सी0 दिनांक 23 जुलाई 1992 पर शासन स्तर पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं विचारोपरान्त संशोधन करते हुए निम्नवत् आदेश निर्गत किये जा रहें हैः-

1- **शैक्षिक योग्यताः-**

होमगार्ड्स स्वयंसेवक पद के लिए अभ्यर्थी को हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

2- **आयुः-**

अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना , प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर संबंधित वर्ष की एक जनवरी तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर एक जुलाई से की जायेगी।

3- **अभ्यर्थियों की शारीरिक माप तौलः-**

अभ्यर्थियों की मापतौल चयन समिति द्वारा की जायेगी। शारीरिक माप तौल में चयन समिति की सहायता हेतु जिले के जिला कमाण्डेण्ट के लिखित अनुरोध पर स्थानीय जिला प्रशिक्षण केन्द्र से वैतनिक निरीक्षक/वैतनिक प्लाटून कमाण्डर एवं हवलदार प्रशिक्षक नामित करेंगें।

पुरूष अभ्यर्थी

मानक	**सामान्य अभ्यर्थी**	**अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी**	**पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी**
ऊॅचाई	167.7 से0मी0	160.0 से0मी0	162.6 से0मी0
सीना बिना फुलाये	78.8 से0मी0	76.5 से0मी0	76.5 से0मी0
सीना फुलाने पर	83.8 से0मी0	81.5 से0मी0	81.5 से0मी0

महिला अभ्यर्थी

मानक	**सामान्य अभ्यर्थी**	**अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी**	**पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी**
ऊॅचाई	152.0 से0मी0	147.0 से0मी0	147.0 से0मी0

4- **चयन समितिः-**

होमगार्ड्स की भर्ती हेतु निम्नलिखित चयन समिति निर्धारित की जाती हैः-

अ-जिला कमाण्डेण्ट	जो भर्ती से संबंधित जनपद में तैनात है।
ब-कमाण्डेण्ट जनरल द्वारा नामित जिला कमाण्डेण्ट	जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, जो भर्ती से संबंधित जनपद के मण्डल के जनपद में तैनात हे।
स-जिलाधिकारी द्वारा नामित	द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी

चयन समिति द्वारा की जाने वाली भर्ती हेतु सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय कमाण्डेण्ट पर्यवेक्षक अधिकारी होंगे तथा यदि भर्ती में किसी प्रकार की कोई अनियमितता होती है तो उसके लिये चयन समिति के साथ ही साथ मण्डलीय कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स भी समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त चयन समिति में वरिष्ठतम् जिला कमाण्डेण्ट, चयन समिति का अध्यक्ष होगा तथा सभी तीन सदस्यों के उपस्थित होने पर बैठक की कार्यवाही की जाये। चयन समिति में शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।

5- **शैक्षिक योग्यताः-**

अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल रखी जाय एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर निम्नानुसार अंक दिये जायेः-

हाईस्कूल	05 अंक
इण्टरमीडिएट	05+03 अंक
स्नातक	05+04 अंक
स्नातकोत्तर	05+05 अंक

6- खेलकूलः-

खेलकूद में प्रवीण अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम 05 अंक निर्धारित है, जो निम्नानुसार दिये जायेंगेः-

स्कूल/विद्यालय स्तर का खिलाड़ी -01 अंक
जिला/महाविद्यालय स्तर का खिलाड़ी -02 अंक
मण्डल/विश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी -03 अंक
राज्य स्तर का खिलाड़ी -04 अंक
अखिल भारतीय/राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी -05 अंक

स्कूल/विद्यालय/महाविद्यालय के खिलाड़ी को सम्बन्धित कालेज के प्रधानाचार्य, जिला स्तर के खिलाड़ी हेतु जिला स्पोर्ट अधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जिला स्पोर्टस एसोसिएशन के अध्यक्ष/सचिव, मण्डल स्तर के खिलाड़ी हेतु क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिवीजनल स्पोर्टस एसोसिएशन, विश्वविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय के क्रीड़ाधिकारी, राज्य स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित स्पोर्टस के राज्य स्पोर्टस एसोसिएशन अथवा उत्तर प्रदेश खेलकूद निदेशालय से निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगे, अखिल भारतीय स्तर के खिलाड़ी हेतु सम्बन्धित खेलों के राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।

7- **एन0सी0सी0-**

एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारकों/भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम 05 अंक निम्नानुसार निर्धारित किये जायेंगेः-

क-एन0सी0सी0/भूतपूर्व सैनिक -05 अंक
ख-एन0सी0सी0/भूतपूर्व सैनिक -03 अंक
ग-एन0सी0सी0/कैडेट प्रमाण पत्र/एन0एस0एस0 प्रमाण पत्र/स्काउट गाइड -05 अंक

8- **तकनीकी डिप्लोमा होल्डर्स तथा ट्रेडसमैन, ड्राइवर आदि को अधिकतम 10 अंको के अन्तर्गत निम्नानुसार अंक दिए जायेंगेः-**

-कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक्स, मोटर-मैकेनिक एवं प्लम्बर आदि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को -10अंक

-उपरोक्त ट्रेड्स में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्रमाण-पत्र धारकों को- 7 अंक।

-उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभिन्न ट्रेड्स में अनुभवी/निपुण एवं विभिन्न व्यवसायिक कार्यो-जैसे राजमिस्त्री, टेलर, धोबी, कुक, नाई, मोची, माली, टैलीविजन मैकनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्राथमिक चिकित्सा, फायर फायटिंग, नर्सिग, तैराक, कारपेन्टर आदि में दक्ष/ कुशल अभ्यर्थियों को -05 अंक।

-ऐसे अभ्यर्थियों को अपने ट्रेड/व्यवसाय में दक्ष एवं न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव का प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान/नगर निकाय के निर्वाचित जन प्रतिनिधि/विधायक/सांसद/ राजपत्रित अधिकारी से अथवा सम्बन्धित ट्रेड का प्रशिक्षण/कार्यानुभव प्रदान कराने वाली संस्था/वर्कशाप के प्रबन्धक से प्राप्त करके प्रस्तुत करना होगा, जिसका चयन समिति, किसी सन्देह की स्थिति में सत्यापन करायेगी। चयन समिति ऐसे ट्रेडमैन की व्यवसायिक दक्षता का समुचित कार्यात्मक परीक्षण/टेस्ट लेने के बाद ही उन्हें निर्धारित अंक प्रदान करेंगी।

9- शारीरिक दक्षता परीक्षाः-

(1) पुरूष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु 2 कि0मी0 की दौड़ करायी जायेगी। दौड़ गोल परिधि में न करा कर खुली सड़क पर करायी जायेगी तथा चयन समिति के सदस्य उक्त परीक्षा सही सही तथा निष्पक्षता पूर्वक लेना सुनिश्चित करेंगे। दौड़ हेतु अभ्यर्थी को दिए जाने वाले अंक निम्नानुसार होंगेः-

-10 मिनट	05 अंक
-08 मिनट	07 अंक
-06 मिनट	10 अंक

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए 500 मीटर की दौड़ खुली सड़क पर करायी जायेगी, जिसमें निम्नानुसार अंक दिए जायेंगेः-

-2.5 मिनट	10 अंक
-3.5 मिनट	07 अंक
-4.0 मिनट	05 अंक

10- **वाहनों के वैध ड्राइविंग** लाइसेन्स धारकों को 5 अंक निम्नानुसार प्रदान किए जायेगें किन्तु यह आवश्यक होगा कि ड्राईविंग लाइसेन्स भर्ती की विज्ञापन तिथि से एक वर्ष पूर्व का होः-

क-	भारी वाहन चालक	05 अंक
ख-	हल्का वाहन चालक	03 अंक

11- साक्षात्कारः-

साक्षात्कार के अन्तर्गत व्यक्तित्व परीक्षण हेतु 5 अंक निर्धारित होंगे। साक्षात्कार में चयन समिति के सभी सदस्य रहेंगे। सभी सदस्यों द्वारा अभ्यर्थियों को अलग-अलग दिए गये अंकों के औसत के आधार पर साक्षात्कार के अंक अंकित किए जायेंगे। साक्षात्कार के समय शैक्षिक योग्यता तथा विशेष योग्यता की प्रमाणिकता को भी गहराई से जांच लिया जाय। शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा व्यक्तित्व परीक्षण/ साक्षात्कार में दिए गए कुल अंकों के योग के आधार पर चयन हेतु मेरिट सूची बनायी जायेगी ।

12- स्वास्थ्य परीक्षणः-

चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण सम्बन्धी फार्म उसी दिन अथवा अनिवार्यतः अगले दिन तक भरा लिया जाये और उनका स्वास्थ्य परीक्षण यथाशीघ्र मुख्य चिकित्साधिकारी से कराया जाये। स्वास्थ्य परीक्षण में अभ्यर्थियों की ऊॅचाई, सीने की माप तथा फ्लैट फुट व कलर ब्लाइंन्डनेस जैसी बीमारियों की जांच भी करायी जाये। स्वास्थ्य परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर ही नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी।

13- चरित्र सत्यापनः-

अन्तिम रूप से चयनित किए गये एवं चिकित्सकीय परीक्षण से उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों का पुलिस प्रमाणीकरण जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स द्वारा कराया जायेगा। पुलिस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में विलम्ब की स्थिति उद्भुत होने पर अभ्यर्थियों से नोटरी प्रमाण पत्र/एफीडेविट प्राप्त करके इस प्रतिबन्ध के अधीन नियुक्ति पत्र निर्गत किए जा सकेंगे कि यदि पुलिस प्रमाणीकरण/चरित्र सत्यापन प्रतिकूल पाया जाता है, तो उन्हें होमगार्ड्स विभाग से पृथक कर दिया जायेगा और उनके प्रशिक्षण/ड्यूटी पर हुए शासकीय व्यय की एकमुश्त वसूली कर ली जायेगी।

उक्त शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा तथा उक्त शासनादेश के क्रम में अन्य वांछित कार्यकारी आदेश महासमादेष्टा, होमगार्ड्स के स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

भवदीय

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2099(1)/छःनासु-10-तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
3- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।
4- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

आज्ञा से

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या-2013/छःनासु-12-188 होगा/06

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ दिनांक 27 सितम्बर, 2012

विषयः- होमगार्ड्स स्वयंसेवकों/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 1228/स्था0/एक-192/2006, दिनांक 09 मार्च, 2011 एवं पत्र संख्याः 5309/स्था0/एक-192/2006, दिनांक 14 अक्टुबर, 2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की सेवाकाल में मृत्यु अथवा स्थायी रूप से अपंग होने पर उसके एक पात्र आश्रित को होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उसके पात्र आश्रित को सेवायोजन से सम्बन्धित शर्ते निम्नवत् होंगीः-

1- मृत होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी का तात्पर्य ऐसे होमगार्ड्स /होमगार्ड्स पदाधिकारी से है, जिसकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाये।

2- स्थायी रूप से अपंग होने का तात्पर्य यह है कि दो अंगों अथवा दोनों आँखों अथवा एक अंग और एक आँख की हानि अथवा पक्षाघात, जिससे होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी अपनी सेवा देने में सक्षम न रह जाये।

3- "कुटुम्ब" के निम्नलिखित व्यक्ति मृतक आश्रित के अन्तर्गत सेवायोजित किये जाने हेतु पात्र होंगेः-

(क) पत्नी या पति

(ख) पुत्र/दत्तक पुत्र

(ग) अविवाहित पुत्रियां, अविवाहित दत्तक पुत्रियां, विधवा पुत्रियां और विधवा पुत्र वधुए

(घ) मृत होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी पर आश्रित अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

परन्तु यदि मृत/स्थायी रूप से अपंग होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी के उपरिउल्लिखित सम्बन्धियों में से संबंधित कोई व्यक्ति उपलब्ध नही है या वह शारीरिक व मानसिक रूप से अनुपयुक्त पाया जाये और इस प्रकार होमगार्ड्स स्वयंसेवक /अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की सेवा में नियोजन के लिए अपात्र हो। केवल ऐसी स्थिति में शब्द "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत अथवा स्थायी रूप से अपंग होमगार्ड्स स्वयंसेवक /अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी पर आश्रित पौत्र अविवाहित पौत्रियां भी सम्मिलित होंगी।

4- होमगार्ड्स एवं अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की सेवा अवधि में मृत्यु/ स्थायी रूप से अपंग होने पर उसके पात्र आश्रित के चयन में वही प्रक्रिया/मापदण्ड अपनाये जायेंगे, जो सामान्य तौर पर होमगार्ड्स/अवैतनिक पदाधिकारी की भर्ती के समय अपनाये जाते है अर्थात होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की भर्ती हेतु निर्गत शासनादेश संख्याः 2099/छःनासु-10-438 होगा /07, दिनांक 06 सितम्बर, 2010 एवं अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की भर्ती हेतु निर्गत शासनादेश संख्याः-1549/छःनासु-11-32 होगा/11, दिनांकः 01 सितम्बर, 2011 में निर्धारित की गयी प्रक्रिया/मानदण्डों के अनुसार पात्र आश्रित की भर्ती की जायेगी। यदि होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की भर्ती से सम्बन्धित नियमों/शासनादेशों में भविष्य में कोई परिवर्तन होता है, तो तद्नुसार परिवर्तन/संशोधन भी पात्र आश्रित की भर्ती में लागू होंगे। भर्ती से सम्बन्धित समस्त मानदण्ड/अर्हतायें व प्रक्रिया पात्र आश्रित की भर्ती में लागू होंगे। मात्र यह छूट दी

जायेगी कि अनुकम्पा के आधार पर होमगार्ड्स/अवैतनिक पदाधिकारी के पद पर चयन/सेवायोजन के लिए अलग से विज्ञापन निकाले जाने की आवश्यकता नही होगी। उक्त सेवायोजन के फलस्वरूप होमगार्ड्स की कुल स्वीकृत संख्या में वृद्धि नही होगी और स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही पात्र आश्रित को सेवायोजित किया जायेगा।

5- मृतक आश्रित के तौर पर भर्ती होने के लिए वह आवश्यक है कि सम्बन्धित होमगार्ड्स स्वयंसेवक/अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारी की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने की तिथि से पांच वर्ष के भीतर आवेदन कर दिया गया हो। अपरिहार्य परिस्थितियों में आवेदन करने की पांच वर्ष की अधिकतम समय सीमा में शिथिलीकरण शासन की अनुमति से किया जा सकता है।

उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेंगे।

भवदीय

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2013(1)/छःनासु-12-तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

3- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट/जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

5- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को होमगार्ड्स विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अजेय कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या-3089/95-15-08 प्रकीर्ण/12

प्रेषक,

स्वामी नाथ पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड् अनुभाग लखनऊ दिनांक 12 जनवरी, 2016

विषयः-होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्याः 1711/छःनासु-14-46 प्रकीर्ण/14 दिनांक 30-07-2014 के क्रम में अपने पत्र संख्याः 5004/हो0स्व0-680/2014 दिनांक 09-09-2014, पत्र संख्याः 5241/हो0स्व0-680/2014 दिनांक 23-09-2014, पत्र संख्याः 5240/हो0स्व0-680/2014 दिनांक 01-10-2014 तथा शासन के पत्र संख्याः 530/छःनासु-15-438 होगा /07, दिनांक 23-04-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09-09-2014, 23-09-2014 तथा 01-10-2014 में प्रस्तावित संशोधनों को दृष्टिगत रखते हुए होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया से सम्बन्धित क्रमशः शासनादेश दिनांक 06-09-2010 तथा दिनांक 01-09-2011 में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

क्रमांक	**शासनादेश का दिनांक व प्रस्तर संख्या**	**संशोधन प्रस्तर**
1	दिनांकः 06-09-2010 व दिनांक 01-09-2011	निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया हेतु होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की शारीरिक दक्षता की दौड़ की परीक्षा में आर0एफ0आई0डी0 चिप के आधार पर दौड़ और उसकी वीडियोग्राफी करायी जायेगी। **(नया प्रस्तर)**
2	दिनांकः 06-09-2010 व दिनांक 01-09-2011	भर्ती से संबंधित समस्त आवदेन पत्र आनलाईन प्राप्त किये जायेगें। सीधे अथवा पंजीकृत डाक आदि से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें। **(नया प्रस्तर)**
3	दिनांकः 06-09-2010 का प्रस्तर-11 व शासनादेश दिनांक 01-09-2011 का प्रस्तर-13	चयन प्रक्रिया में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त की जाती है।
4	दिनांकः 06-09-2010 का प्रस्तर-3 व शासनादेश दिनांक 01-09-2011 का प्रस्तर-5	पुरूष/महिला होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु माप-तौल चयन समिति द्वारा न कराकर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की माप-तौल संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा करायी जाये। पुरूष अभ्यर्थियों हेतु सीना फुलाने की नाप में त्रुटि की संभावना रहती है। चयनित अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच करायी जाये ताकि सीने से संबंधित बीमारियों का पता लगाया जा सकें। अतः सीना फुलाने पर की जाने वाली माप को हटाया जाता है। अन्य व्यवस्थायें यथावत् रहेगी।
	दिनांकः 06-09-2010 का प्रस्तर-4 व शासनादेश दिनांक 01-09-2011 का	चयन समिति में ऐसे जिला कमाण्डेण्ट/मण्डलीय कमाण्डेण्ट को न रखा जाये, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अन्य कोई जांच प्रचलित हो। ऐसे अधिकारियों के स्थान पर महासमादेष्टा होमगार्ड्स द्वारा अन्य

	प्रस्तर-6	समकक्ष/संवर्गीय अधिकारी को चयन समिति में नामित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। शेष शर्ते यथावत् रहेगीं।

3- अतः अनुरोध है कि कृ्पया शासनदेश दिनांकः 06-09-2010 एवं शासनादेश दिनांक 01-09-2011 के उपर्युक्त संशोधनों एवं शासनादेश दिनांकः 23-04-2015 में उल्लिखित संशोधनों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया दो माह में पूर्ण कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर हुई कार्यवाही की अद्यावधिक स्थिति से भी अवगत कराने का कष्ट करें।

4- शासनादेश दिनांकः 06-09-2010 तथा शासनादेश दिनांक 01-09-2011 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय।

भवदीय

(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव।

संख्या-3089(1)/95-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

3- समस्त उप महासमादेष्टा, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट/जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

5- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

आज्ञा से

(सुनील कुमार)
उप सचिव।

संख्या-60/2019/1792/पन्चानबे-19-188 होगा/06

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर ,2019

विषयः- मृतक/स्थायी रूप से अपंग होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के आश्रितों की भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) में असफल होने पर पुनः अवसर दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 11369/कार्मिक/प्रस्ताव-39/2017, , दिनांक 16 सितम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक होमगार्ड्स पदाधिकारियों की मृत्यु/स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके पात्र आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर होमगार्ड्स स्वयंसेवक एवं अवैतनिक होमगार्ड्स

पदाधिकारी के पद पर सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2013/ छःनासु-12-188 होगा/06 दिनांक 27 सितम्बर, 2012 निर्गत किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवाकाल में मृतक होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के परिवारों के प्रति असामायिक कठिनाई से राहत के दृष्टिकोण से आश्रितों को दौड़ में असफल होने पर पुनः दौड़ का अवसर दिया जाए तथा यदि किसी एक आश्रित के दौड़ में असफल होने के उपरान्त यदि किसी अन्य अर्ह आश्रित के द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसकी दौड़ परीक्षा कराने और उसके सफल होने पर उसे होमगार्ड्स स्वयंसेवक के रूप में नियोजित कर लिया जाय।

कृपया उक्त के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- /2019/ (1)/पन्चानबे-19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

3- समस्त उप महासमादेष्टा/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट/समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स, उ0प्र0।

4- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या-61/2019/1815/पन्चानबे-19-8 प्रकीर्ण/12

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग   लखनऊ दिनांक 27 सितम्बर ,2019

विषयः- मृतक/स्थायी रूप से अपंग होमगार्ड्स स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के आश्रितों की भर्ती हेतु गठित चयन बोर्ड के अधिकारियों के विरूद्ध संस्थित जांचों के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 11368/कार्मिक/प्रस्ताव-39/2017, दिनांक 16 सितम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की भर्ती सम्बन्धी शासनादेश संख्या-3089/95-15-08 प्रकीर्ण/12 दिनांक 12 जनवरी, 2016 के प्रस्तर-2(5) को संशोधित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-3089/ 95-15-08 प्रकीर्ण/12 दिनांक 12 जनवरी, 2016 के प्रस्तर-2(5) को निम्नवत् संशोधित कर दिया जायः-

शासनादेश संख्या-3089 /95-15-08 प्रकीर्ण/12 दिनांक 12 जनवरी, 2016 के प्रस्तर-2(5) में विद्यमान व्यवस्था	**संशोधित व्यवस्था**
चयन समिति में ऐसे जिला कमाण्डेण्ट/मण्डलीय कमाण्डेण्ट को न रखा जाये, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अथवा अन्य कोई जांच प्रचलित हो। ऐसे अधिकारियों के स्थान पर महासमादेष्टा होमगार्ड्स द्वारा अन्य समकक्ष /संवर्गीय अधिकारी को चयन समिति में नामित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।	चयन समिति में ऐसे जिला कमाण्डेण्ट/मण्डलीय कमाण्डेण्ट को न रखा जाये, जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित हो अथवा अभियोजन स्वीकृत हो। ऐसे अधिकारियों के स्थान पर महासमादेष्टा होमगार्ड्स द्वारा अन्य समकक्ष/संवर्गीय अधिकारी को चयन समिति में नामित करने हेतु अधिकृत किया जाता है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

3- शासनादेश संख्या-3089/95-15-08 प्रकीर्ण/12 दिनांक 12 जनवरी, 2016 के प्रस्तर-2(5) को उक्त सीमा तक संशोधित समक्षा जाय। कृपया उक्त के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-61/2019/1815(1)/पन्चानबे-19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
3- समस्त उप महासमादेष्टा/समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट/समस्त जिला कमाण्डेण्ट, होमगार्ड्स,उ0प्र0।
4- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव।